# न्यायालय, मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी/राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 41/2015–16 अन्तर्गत धारा–56 स्टाम्प एक्ट

श्रीमती निर्मला बजाज पत्नी स्व0 श्री बाबूराम बजाज, निवासी– पुराना म0नं0–287 नया नं0–537 पुरानी तहसील रूड़की जिला हरिद्वार।

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवैक्ता निगरानीकता : श्री सतेन्द्र कुमार।

## निर्णय

यह निगरानी अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–184/2015 सरकार बनाम निर्मला बजाज अन्तर्गत धारा–47 ए स्टाम्प एक्ट में पारित आदेश दिनांक 14–03–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी की ग्राहयता के स्तर पर विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कथन था कि आक्षेपित आदेश दिनांक 14–03–2016 बिना उनको सुने एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस भी नही दिया गया है। आक्षेपित आदेश को वापस लेने तथा उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद को गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु उनके द्वारा दिनांक 03–06–2016 को एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसका निस्तारण अभी तक नही हुआ है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा शपथ पत्र भी निगरानी के साथ प्रस्तुत किया गया है उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बिना पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निस्तारित किये ही आक्षेपित आदेश दिनांक 14–03–2016 के सापेक्ष उनके विरूद्ध वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।

चूंकि निगरानीकत्री ने आक्षेपित आदेश दिनांक 14–03–2016 के विरूद्ध दिनांक 03–06–2016 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसका अभी निस्तारण होना शेष है ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 14–03–2016 के विरूद्ध निगरानी अपरिपक्व है एवं पोषणीय नही है तथा सुनवाई के स्तर पर ही अस्वीकृत होने योग्य है।

## आदेश

निगरानी अपरिपक्व होने की दशा में प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकृत की जाती है तथापि विद्वान अपर कलेक्टर, हरिद्वार को निर्देशित किया जाता है कि वे निगरानीकत्री के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 03–06–2016 पर निगरानीकत्री को सुनवाई एवं साक्ष्य को समुचित अवसर प्रदान कर उसका विधिसम्मत निस्तारण यथाशीघ्र करें। निगरानीकत्री आदेश की प्रमाणित प्रति सहित दिनांक 28–09–2016 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। उक्त तिथि तक निगरानीकत्री के विरूद्ध इस प्रकरण से सम्बन्धित वसूली की कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **05–09–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।